

क्रय समिति जिला न्यायालय हापुड़।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश
हापुड़।

विषय—

जनपद न्यायालय हापुड़ में आवश्यक LaserJet-Pro MFP 227FDW & HP-LaserJet-Pro 203 DN की पुरानी कार्टेजों को रिफिल करवायें किसी भी फर्म के द्वारा कोटेशन प्रस्तुत न किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,


ससम्मान निवेदन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार एवं नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) जनपद न्यायालय हापुड़ के पत्रानुसार न्यायालयों/कार्यालयों में स्थापित LaserJet-Pro MFP 227FDW & HP-LaserJet-Pro 203 DN की पुरानी कार्टेजों को रिफिल करवायें जाने हेतु दिनांक 07.03.2019 तक नियत शर्तों का अनुपालन करते हुए पंजीकृत फर्मों की कोटेशन आमंत्रित की गयी, परन्तु नियत समय तक किसी भी पंजीकृत फर्मों के द्वारा कोटेशन प्रस्तुत नहीं की गयी।


नोडल अधिकारी कम्प्यूटर के पत्रानुसार LaserJet-Pro MFP 227FDW & HP-LaserJet-Pro 203 DN की पुरानी कार्टेजों के रिफिल न हो पाने की स्थिति में उक्त प्रिंटरों हेतु 20 नई कार्टेजों का क्रय किया जाना उचित प्रतीत होता है।


अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि नोडल अधिकारी कम्प्यूटर की मांग के अनुसार LaserJet-Pro MFP 227FDW & HP-LaserJet-Pro 203 DN हेतु नई कार्टेजों का क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।


सादर।

दिनांक—07.03.2019


(हेमंत कुमार)
सदस्य क्रय समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हापुड़।


(चन्द्रपाल—11)
सदस्य क्रय समिति/
अपर जिला जज एफ0टी0सी0—।
हापुड़।


7.3.19
(वीना नारायण)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला जज
हापुड़।


Permittal
2/3/19

कार्यालय जनपद न्यायाधीश हापुड़।

पत्रांक—


/केन्द्रीय नजारत/जिला न्यायालय हापुड़।

दिनांक— 07.03.2019

टेण्डर/निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद न्यायालय हापुड़ के न्यायालयों/कार्यालयों में स्थापित लेजर प्रिंटर LaserJet-Pro MFP 227FDW & HP-LaserJet-Pro 203 DN हेतु नई कार्टेजों का क्रय किया जाना है। उक्त लेजर प्रिंटरों हेतु कार्टेजों की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मों से टेण्डर/निविदा दिनांक 15.03.2019 तक आमन्त्रित किये जाते हैं।

अतः वर्णित नई कार्टेजों की आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्मों से दिनांक 15.03.2019 की सांय 04:00 बजे तक किया जा रहा है। प्राप्त टेण्डर/निविदा उसी दिन सांय 05:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। टेण्डर/निविदा खोले जाने के समय फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।



(वीना नारायन)


अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जिला जज एफ0टी0सी0—।

जनपद न्यायालय हापुड़।

कोटेशन निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त किये जायेंगे—

- 1— निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- 2— निविदा देने वाली फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3— सामानों की आपूर्ति मासिक/पाक्षिक/दैनिक या तत्काल आवश्यकता अनुसार कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
- 4— भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर ही किया जा सकेगा। भुगतान में विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 5— निविदा के साथ अंकन 5,000/-रु0 का बैंक ड्राफ्ट/चैक जनपद न्यायाधीश हापुड़ के पक्ष में धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना होगा।
- 6— स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश हापुड़) को अधिकार होगा कि वह किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।
- 7— निविदा दाताओं को अपनी निविदा के साथ Tin No., Pan No., Details of Income Tax Return of last 3 years आदि संलग्न करना अनिवार्य है।



(वीना नारायन)

अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जिला जज एफ0टी0सी0—।

जनपद न्यायालय हापुड़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु—

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय हापुड़।
2. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी हापुड़।
3. नोटिस बोर्ड, समस्त तहसीलदार हापुड़।
4. अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, हापुड़।
5. नोटिस बोर्ड, हापुड़—पिलखुआ विकास प्राधिकरण।
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी हापुड़ को।
7. कम्प्यूटर विभाग को जनपद न्यायालय हापुड़ एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट में प्रकाशन हेतु।